भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1458
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक पदों के लंबे समय तक रिक्त रहने का प्रभाव

†1458. **श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः**
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के संघ सरकार के विद्यालयों में लंबे समय से शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों के कारण छात्र अधिगम परिणामों, उपस्थिति और समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संकट का समाधान किस प्रकार किया जा रहा है और रिक्तियों को भरने की समय-सीमा क्या है;
(ख) देश में संघ सरकार के सभी विद्यालयों में रिक्त शिक्षक और प्रधानाचार्य पदों की विस्तृत संपरीक्षा नहीं करने और नियुक्तियों में देरी के लिए जवाबदेही तंत्र की कमी के क्या कारण हैं;
(ग) क्या अल्पसंख्यक या कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को केंद्रीय संस्थानों में शिक्षक पदोन्नति और प्रधानाचार्य की नियुक्तियों में व्यवस्थित देरी का सामना करना पड़ता है और यदि हाँ, तो इसके कारणों के साथ-साथ सरकार द्वारा निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए त्वरित कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) शिक्षकों/प्रधानाचार्यों की समय पर भर्ती में बाधा डालने वाली न्यायिक और प्रशासनिक अड़चनों के बने रहने और देश के केंद्रीय विद्यालयों में कार्यकारी प्रधानाचार्यों/वरिष्ठ शिक्षकों जैसी उपचारात्मक/अंतरिम व्यवस्था लागू करने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या सरकार ने बार-बार दी गई इन चेतावनियों के बावजूद कि विद्यालय लंबे समय तक इन रिक्तियों के साथ प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकते, शिक्षक और प्रधानाध्यापक के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए फास्ट-ट्रैक भर्ती या अतिरिक्त संसाधनों/प्रशासनिक सहायता सहित अन्य अभिनव समाधान नहीं अपनाए हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): केन्द्र सरकार के स्कूल नामत: केन्द्रीय विद्यालय (केवि) और नवोदय विद्यालय (नवि) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अधीन हैं।

नए केवि और नवि खोलने, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थानांतरण, कर्मचारियों के दूसरे विभाग में ग्रहणाधिकार पर जाने और स्कूलों के उन्नयन के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। रिक्तियों को भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है और केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) और नवोदय विद्यालय समिति (नविस) के संगत भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जाते हैं।

केवि / नवि में प्रधानाचार्य की रिक्ति के मामले में, विद्यालय के उप प्रधानाचार्य को प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है जब तक कि पद नियमित आधार पर भरा नहीं जाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया बाधित न हो, केवि और नवि द्वारा अस्थायी अवधि के लिए शिक्षकों को संविदात्मक आधार पर भी नियुक्त किया जाता है। नियमित शिक्षकों की जल्द से जल्द भर्ती करने का प्रयास किया जाता है ताकि छात्रों का हित प्रभावित न हो। पिछले कुछ वर्षों में केवि और नवि द्वारा प्राप्त किए गए लगातार उच्च प्रतिशत परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि शैक्षणिक मानकों और छात्रों के प्रदर्शन को विधिवत बनाए रखा जाता है और उनसे समझौता नहीं किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण मानदंडों का भर्ती और पदोन्नति के मामलों में केविसं और नविस द्वारा सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है।

केविसं और नविस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीधी भर्ती के लिए नवंबर, 2025 के महीने में केविसं के संबंध में प्रधानाचार्यों की 161 रिक्तियों सहित कुल 8714 शिक्षण रिक्तियों और नविस के संबंध में प्रधानाचार्यों की 93 रिक्तियों सहित 5045 शिक्षण रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है। टियर-I परीक्षा जनवरी, 2026 में आयोजित की गई है।

उपरोक्त के अलावा, सीमित विभागीय परीक्षा/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से केविसं में प्रधानाचार्यों की 157 रिक्तियों सहित 2153 शिक्षण रिक्तियों को भरने के लिए केविसं द्वारा दिसंबर, 2025 के महीने में एक अधिसूचना भी जारी की गई है।

*****